राजस्थान सरकार
कार्मिक (ग्रुप–क–2) विभाग

सं. एफ.3(2)डीओपी/ए–2/2017 जयपुर, दिनांक : 5.3.2019

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 26 का संशोधन.– राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 के विद्यमान नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"26. कार्यालय चपरासी आदि के पद पर चयन.– (1) अनुसूची–II में मद सं. 3 में उल्लिखित कार्यालय चपरासी के पद और अन्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार जो क्रमशः 85 और 15 अंकों का होगा, के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगा।

(2) सामान्य लिखित परीक्षा 2 घण्टे की अवधि की होगी जिसमें निम्नलिखित को समाविष्ट करते हुए मैट्रिक स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे–

(क) सामान्य हिन्दी

(ख) सामान्य अंग्रेजी

(ग) राजस्थानी संस्कृति और बोलियां।

www.rajteachers.com

08

(3) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, रिक्तियों की कुल संख्या (प्रवर्ग–वार) के पांच गुना तक अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाने हेतु अर्हित घोषित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण– लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करने के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(4) साक्षात्कार अभ्यर्थी की समग्र उपयुक्तता का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए होगा।

(5) चयन के लिए योग्यता सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

स्पष्टीकरण–

(i) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, साक्षात्कार में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(ii) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक और साक्षात्कार में भी समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

www.rajteachers.com

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

13/2019